उत्तर प्रदेश सरकार

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड

19 सी, तुलसी गंगा कॉम्पलेक्स, विधानसभा मार्ग,

लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226001

सूचना

आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी पी0ए0सी0 के पदों पर सीधी भर्ती–2018 से सम्बन्धित अभ्यर्थियों हेतु सूचना

संख्याः पीआरपीबी–एक–1(140)/2018 दिनांकः जनवरी 07 ,2019

आरक्षी ना0पु0 एवं आरक्षी पीएसी के पदों पर सीधी भर्ती–2018 के अन्तर्गत अब तक सम्पन्न हुई अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान बोर्ड को प्राप्त हुये प्रकरणों का निम्नानुसार निस्तारण प्रस्तावित हैः–

(1) ऐसे अभ्यर्थी जिनका बायोमैट्रिक मिलान न होने के कारण या ऐसे अभ्यर्थी जिनका बायोमैट्रिक उपलब्ध न होने के कारण तथा ऐसे अभ्यर्थी जिनका प्रकरण बोर्ड को सन्दर्भित किया गया है और जिसके कारण उपरोक्त अभ्यर्थियों की अब तक डीवी/पीएसटी की कार्यवाही नहीं हुई है, के ऐसे समस्त अभ्यर्थियों की डीवी/पीएसटी की कार्यवाही दिनांक 09–01–2019 से जनपद लखनऊ की पुलिस लाइन में किया जाना प्रस्तावित है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अभ्यर्थियों की सूची एवं डीवी/पीएसटी की तिथि की सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर दिनांक 08–01–2019 को प्रदर्शित होगी। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह अपना पूर्व में डीवी/पीएसटी हेतु निर्गत प्रवेश–पत्र एवं फोटो युक्त पहचान पत्र तथा डीवी/पीएसटी हेतु आवश्यक समस्त अभिलेखों की मूलप्रति एवं प्रमाणित छाया प्रति के साथ निर्धारित तिथि पर समय से उपस्थित होगे।

(2) ऐसे अभ्यर्थी जो द्वितीय चरण (दि0 26–12–2018 से 31–12–2018 तक) की डीवी/पीएसटी में किन्हीं कारणों से प्रतिभाग नहीं कर सके है, उन अभ्यर्थियों की डीवी/पीएसटी की कार्यवाही दिनांक 10–01–2019 से 12–01–2019 तक जनपद आगरा, बरेली, गोरखपुर, कानपुर नगर, झॉसी, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर एवं मीरजापुर के परीक्षण केन्द्रों पर आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों के नये प्रवेश–पत्र दिनांक 09–01–2019 से बोर्ड वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे, जिन्हें अभ्यर्थी डानलोड कर प्रवेश–पत्र में अंकित परीक्षण केन्द्र पर निर्धारित तिथि व समय पर प्रवेश–पत्र व आवश्यक समस्त अभिलेखों की मूलप्रति एवं प्रमाणित छाया प्रति के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।

(3) आरक्षित श्रेणी के कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा बोर्ड में उपस्थित होकर इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया है कि उन्हें जाति/निवास प्रमाण–पत्र होने के बावजूद आवेदित श्रेणी से परिवर्तन कर सामान्य श्रेणी में करते हुये डीवी/पीएसटी की गयी है। जिसके कारण वह असफल हो गये है। कुछ ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा भी शिकायत की गयी है कि निर्धारित जाति/निवास प्रमाण–पत्र होने के बावजूद उन्हे सामान्य श्रेणी में परिवर्तित करते हुये डीवी/पीएसटी तथा पीईटी की कार्यवाही की गयी तथा वे पीईटी में सफल है और उनके द्वारा अपनी ही श्रेणी में रखे जाने का अनुरोध किया गया है। ऐसे सभी अभ्यर्थियों के अभिलेखों की पुनः संवीक्षा किया जाना प्रस्तावित है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अभ्यर्थियों की सूची एवं संवीक्षा की तिथि की सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर शीघ्र ही प्रदर्शित होगी। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह अपना पूर्व में डीवी/पीएसटी हेतु निर्गत प्रवेश–पत्र एवं फोटो युक्त पहचान पत्र तथा डीवी/पीएसटी हेतु आवश्यक समस्त अभिलेखों की मूलप्रति एवं प्रमाणित छाया प्रति के साथ निर्धारित तिथि पर समय से उपस्थित होगे।

2– उपरोक्त से सम्बन्धित अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे बोर्ड की वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहे।.

07/1/19

अपर सचिव, भर्ती

उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,

लखनऊ।